अध्याय 5

# निष्कर्ष एवं सिफारिशें

## 5.1 निष्कर्ष

45 बर्न यूनियन सदस्यों के बीच कवर किए गए व्यवसाय, प्रीमियम आय और प्रीमियम दर के संबंध में कम्पनी का स्थान 12वाँ, 13वाँ और 23वाँ था।

कम्पनी ने 2008-11 के दौरान दावे के अनुपात पर ध्यान दिए बिना बैंकों की बीमा पालिसियों का नवीकरण किया और प्रतिकूल दावा अनुपात वाले बैंकों के संबंध में प्रीमियम बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बैंकों द्वारा किए गए संघ प्रबंधन के कारण डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत जोखिमों का संचयन था और दावों के समय तक इन प्रबंधनों के बारे में कम्पनी को पता नहीं था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा पहले की गई सिफारिश जिसमें बैंकों द्वारा क्रेता का सत्यापन करना अनिवार्य था, की स्वीकृति के बावजूद, कम्पनी दावों के भुगतान करती रही जबकि क्रेता सत्यापन रिपोर्ट या तो पुरानी या असंतोषजनक या पश्च दिनांकित थी।

निर्यातकों को जारी पालिसियों के मामले में, क्रेता पर ओएल सीमा निर्धारित करने में पारदर्शिता की कमी थी और वह उद्देश्यात्मक मानदंडों पर आधारित नहीं थी। कम्पनी ने क्रेताओं के बारे में नवीनतम या पूर्ण वित्तीय सूचना प्राप्त किए बिना या क्रेडिट सूचना एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्टों को बावजूद ओएल निर्धारित किया/बढ़ाया। कम्पनी पॉलिसी के नियम और शर्तों के विरूद्ध निर्यातकों द्वारा किए जा रहे गंभीर उल्लेखनों को माफ कर रही थी। दावों के निपटान के बाद निर्यातकों/क्रेताओं से राशि की वसूली में कम्पनी का निष्पादन काफी खराब था।

कम्पनी को उचित पुनर्बिमा प्रबंधन द्वारा अपने लाभ के संरक्षण की आवश्यकता थी।

## 5.2 सिफारिशें

उपरोक्त अध्यायों में वर्णित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

1. **कम्पनी को डब्ल्यूटीपीएस में कम दावा अनुपात के साथ बैंकों को प्रोत्साहित करने की और उच्च दावा अनुपात के साथ बैंकों को हतोत्साहित करने की प्रभावी प्रणाली प्रारंभ करने की आवश्यकता है। कम्पनी को प्रोत्साहन/हतोत्साहन के बेंचमार्क के लिए प्रासमिक दावा प्रीमियम अनुपात बनाने के लिए भी विचार करना चाहिए।**

2. कम्पनी को बैंकों के बीच संघ करार से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनानी चाहिए जिससे उसके वित्तीय हितों की रक्षा के लिए बीमा करने के समय संकेन्द्रण का मूल्यांकन किया जा सके।

3. लेखापरीक्षा ने पहले की गई सिफारिश को दोहराया कि दावों के जोखिम को कम करने के लिए, कम्पनी को बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि वह अग्रिमों की संस्वीकृति से पहले विदेशी निर्यातकों की ऋण पात्रता का सत्यापन करें। कम्पनी को बैंकों से क्रेताओं की ऋण पात्रता को समुचित परिश्रम से किए जाने का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए।

4. कम्पनी को ओएल निर्धारित करते समय दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय प्राचलों को उचित महत्व देते हुए क्रेताओं के मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनानी चाहिए।

5. निर्यातकों द्वारा गंभीर चूकों को माफ कर दावों के निपटान को केवल अपवादित आधार पर किया जाना चाहिए।

6. कम्पनी को क्रेताओं से वसूली की प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे वह अन्य देशों के साथियों से मेल खाए।

7. कम्पनी को वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता और अस्थिरता के प्रति सुरक्षा के लिए उसकी अरक्षितता अनुरूप उचित पुनर्बिमा सुरक्षा की जरूरत है।

अजित कुमार पटनायक

**(ए.के.पटनायक)**
भारत के उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांकः 24 अगस्त, 2012

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

**(विनोद राय)**
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 27 अगस्त, 2012